Order Sheet [Contd] Case No 125/2017 बी.ए

	Case No 125	0/2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27-04-2017	आवेदकगण रामेश्वरदयाल शर्मा एवं श्रीमति सरिता की ओर से अधिवक्ता श्री अरविंद वैशांदर।	
	राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। अधीनस्थ न्यायालय से प्र०क० 67/17 निशा शर्मा वि० मनमोहन शर्मा	
	प्रस्तुत। आवेदकगण की ओर से सूची मुताबिक दस्तावेज प्रस्तुत।	
AL S	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अरविंद वैशांदर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	परिवादिया के द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध झूठी कहानी बनाते हुए मिथ्या परिवादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण के विरूद्ध परिवाद पंजीबद्ध कर दिया है। जबकि परिवादिया पूर्ण महिला	
(2	नहीं वह दाम्पत्य जीवन हेतु पूर्ण अक्षम है। जिसकी जानकारी परिवादिया व उसके माता पिता होते हुए भी आवेदकगण के रिस्तेदार मनमोहन शर्मा के शादी उसकी	
	शादी करा दी। जिसकी जानकारी मनमोहन को होने पर उसके द्वारा द्वारा शादी को शून्य घोषित करने बावत् ग्वालियर न्यायालय में कार्यवाही की जिसकी तामील	A SI
	परिवादिया को होने पर उसके व उसके माता तिपा के द्वारा झूठे व गलत आधारों पर यह परिवादपत्र पेश किया गया है और मात्र रिस्तेदार होने के नाते उन्हें झूठा	
	फंसाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें वारंट से तलब किया गया है। जबिक उनके द्वारा कभी कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही इस हेतु प्रताडित किया गया है। यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो निश्चित ही उनके मान सम्मान	
	को ठेस पहुँचेगी। आवेदकगण अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।	
	राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र घोर विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।	
	आवेदक / अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदिका सरिता फरियादी निशा की ननद है एवं आवेदक रामेश्वरदयाल ननदोई	
	है। दोनों ही परिवादिया के परिवार से प्रथक निवास करते है। आवेदिका सरिता को दोनों ऑखों से दिखाई नहीं देता है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह मिथ्या प्रकरण तैयार किया गया है। वास्तव में फरियादिया स्त्री नहीं है और इस बात की	
	जानकारी विवाह के पश्चात् हुई थी और इसी कारण विवाह के पश्चात् से ही परिवादिया एवं उसके पति के मध्य न्यायालयीन प्रकरण चल रहे है। परिवादिया ने	
	दुर्भावनावश आवेदकगण के विरूद्ध यह असत्य परिवादपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें गिरफ्तारी की संभावना है।	
	अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित होता है कि पुलिस द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया।	

परिवादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दिनांक 28.03.2017 की आदेश पत्रिका का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि आवेदकगण रामेश्वरदयाल एवं सरिता को 500-500 /- रूपए के जमानती वारंट से तलब किया गया है। अतः प्रकरण की इस स्टेज पर आवेदकगण की गिरफ्तारी की संभावना दर्शित नहीं होती है। परिणामतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख बापस किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए.एस.जे. गोहद All the fair of th